

727

706 1000Rs.



(4)

सप्टेम्बर वगैरे श्रुति का प्रमाण  
 मागदशिका पंजी के अनुसार  
 निर्धारित प्रमाण प्रमाण  
 से कम नहीं है।



06-7-11

श्री २२ \* अखिल एच डीआनएचए  
 जयपुरकी जयपुर 1909 की पत्र  
 ..L.R.D.C. ...

भारत: भारतीय स्टाम्प अधिनियम  
 (शुद्धि एवं स्टाम्प एक्ट) 1899 की अनुसूची  
 का 1 क संख्या 23 F.A. with the permission  
 प्रकृत कयाकत स्टाम्प by L.R.D.C. Simdega vide  
 दिवस (सं. स्टाम्प आंक 4 दिवस 4  
 7 नमबर 407/2010-11 order dated

06-7-11 *Handwritten signature* 18.5.11



रजिस्ट्रार  
 6-7-2011

§ 18 लेख्यकारी :- श्री रज्जर्ड खालखो मिता स्व० जोहन खालखो  
 जाति उरांव पेशा खोती बारी निवास गांव खिजरी पुरनापानी  
 धाना सिमडेगा जिला सिमडेगा - - - - - विफ्रेता ।  
 शपथ-पत्र संख्या - - - - 481 - - - - - / 2011

§ 28 लेख्यधारिणी :- श्रीमती प्रतिमा लकड़ा पति श्री निकोदिम  
 लकड़ा जाति उरांव पेशा गृहिणी वो नौकरी निवास गांव पिथारा  
 धाना सिमडेगा जिला सिमडेगा - भारतीय नागरिक --- क्रेतिका ।  
 शपथ-पत्र संख्या - - - - 482 - - - - - / 2011

पट्टान - मुजित खलखो  
 पति - श्री जोनि फामखलखो  
 ग्राम - खिजरी पुरनापानी धाना  
 जिला - सिमडेगा  
 6/7/11

263/11

000775/11

500/w0257df24



रुद्रवर्द्ध खलखो  
पत्नी स्व. मोहन खलखो  
पिता रिजोपात्री  
निम्नलिखित नमूने प्रमाणित स्वीकार  
प्राप्ति 29/6/11  
रुद्रवर्द्ध खलखो  
29/6/11  
जिला कारागार अधिकारी  
सिमडेगा

1000 x 4 = 4000  
100 x 3 = 300  
कुल = 4300



रुद्रवर्द्ध खलखो  
6-7-2011



06-7-2011  
निम्नलिखित नमूने प्रमाणित स्वीकार  
प्राप्ति 06/7/11  
रुद्रवर्द्ध खलखो  
पत्नी स्व. मोहन खलखो  
पिता रिजोपात्री  
सिमडेगा  
पुरनापानी



06/7/11  
रुद्रवर्द्ध खलखो  
06/7/11





-: 2 :-

३३ लेख्य प्रकार :- द्विक्रय-पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र-पुत्रादिक हमेशा के लिए ।

३४ मूल्य :- मोवलिग एक लाख साठे सात हजार रुपये अके 1,07,500/- रुपये जिसका आधा तिरपन हजार सात सौ पच्चास अके 53,750/- रुपये होता है ।

३५ सम्पत्ति :- सराजियात 0.10 एकड़ ४ दस डिंसमिल ४ जमीन हकियत रैयती मय दखाली खातियानी वाके मौजा खिजरती पुरनापानी धाना नं0 105 धाना सिमडेगा सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला सिमडेगा के अन्दर खाता नं0 72 ४ बहत्तर ४ प्लाट नं0 294 ४ दो सौ चौरानब्बे ४ रकबा 0.10 एकड़ ४ दस डिंसमिल ४ जमीन जिसकी चौहद्दी :-

उत्तर :- टांडू इसी प्लाट का अंश,

दक्षिण :- टांडू इसी प्लाट का अंश,

पूरब :- कच्चा रास्ता 5 फीट चौड़ा,

पश्चिम :- टांडू अबरसियुस खालखो का हिस्सा ।

कुल एक खाता का एक प्लाट का टुकड़ा रकबा 0.10 एकड़ ४ दस डिंसमिल जिसका मालगुजारी सालाने 05 पैसे अलावे शोषा ।वर्षि ति विक्रीत

रजिस्ट्रार  
6-7-2011

वावाह-जुलियन सिंग पिता  
पुत्र-जीन सिंग राम-खिजरती पुरनापानी  
धाना-सिमडेगा धाना-सिमडेगा  
ता-6-7-011





- 3 :-

जमीन आवासीय टांडू है जिस पर किसी प्रकार का कोईनिर्माण नहीं हुआ है ।

॥ 1॥ चूंकि इस समय मुझे मकान बनाने वास्ते रुपये की अति आवश्यकता है इसलिए मैंने वर्णित जमीन का कुल मूल्य मो० 1, 07, 500/- रुपये नगद भुगतान पाकर उपर्युक्त लेख्यधारिणी के पास रैयती बेचा और अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रह कर यह विक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज लिखा दिया कि प्रमाण रहे ।

॥ 2॥ चूंकि हम दोनों पक्षा आदिवासी समुदाय के रैयत हैं अतः जमीन बिक्री हेतु आवश्यक परमीशन का आवेदन सी०एन०टी० एच० अन्तर दफा 46 का मुकदमा वाद संख्या 407/2010-11 श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार मोकाम सिमडेगा के न्यायालय में किया जिसकी स्वाकृत्यादेशा दिनांक 18-5-11 को हुई और मेमो नं० 569॥ 1॥ रेव० दिनांक 28-5-2011 के अनुसार मुझे तथा जिला सब रजिस्ट्रार, सिमडेगा को प्रतिलिपि भेजी गई ।

॥ 3॥ मैं, प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन मेरी पुस्तैनी छातियानी है जो दीवा उरांव, लुकस उरांव वगैरह के नाम से

र० १०९२९२२२२  
६-७-२०११





-: 4 :-

खातियान में नाप दर्ज है लुक्स उरांव मेरे दादा थे वो वर्णित जमीन उनके हिस्से की थी उनके मरने के बाद मेरे पिता तथा पिता के मरने के बाद वर्णित जमीन हमें उत्तराधिकारी के तौर पर प्राप्त हुआ और आपसी जबानी भौयादी बंटवारे में प्राप्त मेरे हिस्से की है जिस पर मेरा निर्विवाद दखाल वो कब्जा है जमीन पर किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या भार नहीं है अब से उस पर सारा हक वो दखाल कब्जा लेख्यधारिणी को हस्तान्तरित कर दिया अब से उस पर मेरा किसी प्रकार का दखाल कब्जा वो हक अधिकार नहीं रहा न रहेगा और न भाविष्य में मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का ।

25/5 2011  
6-7-2011

४४ चाहिए कि लेख्यधारिणी वर्णित जमीन पर काबिज वो दखालकार होकर वो रह कर मकान सहन आदि बनावें वो जैसा मन चाहें अपने उपयोग में लावें वजरिये झारखण्ड सरकार के जमींदारी सिरिस्ते अंचल कार्यालय सिमडेगा से तारीख लेख्य से दाखिल खारीज करा कर मालगुजारी की रसीद खास नाम से हासिल करें ।





- : 4 :-

खातियान में नाप दर्ज हैं लुक्स उरांव मेरे दादा थे वो वर्णित जमीन उनके हिस्से की थी उनके मरने के बाद मेरे पिता तथा पिता के मरने के बाद वर्णित जमीन हमें उत्तराधिकारी के तौर पर प्राप्त हुआ और आपसी जबानी भैयादी बंटवारे में प्राप्त मेरे हिस्से की है जिस पर मेरा निर्विवाद दखाल वो कब्जा है जमीन पर किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या भार नहीं है अब से उस पर सारा हक वो दखाल कब्जा लेख्यधारिणी को हस्तान्तरित कर दिया अब से उस पर मेरा किसी प्रकार का दखाल कब्जा वो हक अधिकार नहीं रहा न रहेगा और न भाविष्य में मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का ।

25/5/2011  
6-7-2011

§4§ चाहिए कि लेख्यधारिणी वर्णित जमीन पर काबिज वो दखालकार होकर वो रह कर मकान सहन आदि बनावें वो जैसा मन चाहें अपने उपयोग में लावें वजरिये झारखण्ड सरकार के जमींदारी सिरिस्ते अंचल कार्यालय सिमडेगा से तारीखा लेख्य से दाखिल खारीज करा कर मालगुजारी की रसीद खास नाम से हासिल करें ।





-: 5 :-

लेख्यकारी के कहे अनुसार इस विक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज का प्रारूप तैयार कर दोनों पक्षों को उनके गवाहों के सामने पढ़ कर सुना वो समझा दिया जिसे स्वीकार किये ।

प्रारूप कर्ता,

Rach-Sah  
Adv

तारीख - 06/07/11

रजिस्ट्रार  
6-7-2011

मैं, लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही - रजिस्ट्रार  
6-7-2011



युवागित विभागात् है कि एडवर्ड (एलएचो) का-  
वर्षों समय-का पॉली कॉयुलिपो का धाप  
के धाप-विभागात् है।

रजिस्ट्रार  
आध्यात्म  
06/07/11





-:6 :-

मैं, लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व धारित  
वो खारीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग सीमा के अन्तर्गत नहीं  
आता है ।

सही - *Pratima Kakila*  
6/07/2011

*₹ 595 रकम*  
6-7-2011



युधारिणी का क्लिप का नाम है कि युधिमा काका  
आ वरत' दाम - की पांच अंगुलियों का  
एक ही छेद करने का गड है ।

*शिवकाल*  
आधिकार  
06/07/11





-: 7 :-

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के कुल 7 पृष्ठों में कुल 562 शब्द टंकित हैं जो छाण्डन रहित वो नक्शा सहित है ।

टंकक -

ह0/-

नारायण दास

॥ नारायण दास ॥

कचहरी परिसर, सिमडेगा ।

₹ 545 (नक्शा)  
6-7-2011